संचिका सं0–7/बजट–46–37/2025–26– 245(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 09/07/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य योजना मद अंतर्गत गठित संस्थान बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी को सहायक अनुदान– वेतन (31–04) मद में कुल रु0 1,45,00,000/– (रूपये एक करोड़ पैतालीस लाख) मात्र तथा सहायक अनुदान– गैर वेतन (31–06) मद में कुल रु0 3,55,00,000/– (रूपये तीन करोड़ पचपन लाख) मात्र अर्थात कुल रू0 5,00,00,000/– (रूपये पाँच करोड़) मात्र उपलब्ध कराये जाने से संबंधित योजना की प्रशासनिक एवं व्यय निमित स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे सूचित करना है कि बिहार मे कैंसर रोगियो की सख्या मे हो रही वृद्धि को देखते हुए विभाग ने मरीजो का पजीकरण और उनका समय पर ईलाज और समुचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभागीय सकल्प संख्या–687(12) दिनांक–23.05.2025 के माध्यम से बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी का गठन किया गया है। वर्णित संकल्प के कंडिका–4(ix & x) के अनुसार गठित कार्यकारणी समिति के स्वरूप का निर्धारण सोसाईटी के बायलॉज के अधीन सस्थान मे कार्यरत पदाधिकारियो एवं कर्मियों के मानदेय तथा कार्यालय संचालन एव इसके अनुसंधान कार्यो हेतु अनुदान के तहत् राशि उपबधित किया जाना है ।

2– उक्त योजना के प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशसा प्राप्त होने के फलस्वरूप बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी के पत्रांक–149 दिनांक–04.06.2026 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य योजना मद अतर्गत गठित सस्थान बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी को सहायक अनुदान– वेतन (31–04) मद मे कुल रु0 1,45,00,000/– (रूपये एक करोड पैतालीस लाख) मात्र तथा सहायक अनुदान– गैर वेतन (31–06) मद में कुल रु0 3,55,00,000/– (रूपये तीन करोड पचपन लाख) मात्र अर्थात कुल रू0 5,00,00,000/– (रूपये पॉच करोड) मात्र उपलब्ध कराये जाने से संबंधित योजना की प्रशासनिक एव व्यय निमित स्वीकृति दी जाती है।

4– उक्त व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105– एलोपैथी–0123–बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, विपत्र कोड–20–2210051050123–31–04 सहायक अनुदान– वेतन मद एवं सहायक अनुदान– गैर वेतन (31–06) मद अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5– राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख होंगे। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि का नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या – PBBPLA037 मे हस्तान्तरित करायेगे ।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880 वि0(2)दिनांक–06 05.2006, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 2938 वि0(2)दिनाक–08 04.2008 एवं 12888 / वि0 दिनाक–03.12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7– बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी के द्वारा राशि की निकासी स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–687(12) दिनाक–23 05 2025 तथा वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी। बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, पटना नियमानुसार उतनी राशि, जितनी तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो उतनी ही राशि की निकासी करेगी । किसी भी परिस्थिति में पी0एल0 खाते से अग्रिम राशि की निकासी कर बैक खातो में पार्क नहीं किया जाय ।

8– बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, पटना खाते (PL Account) का धन–ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) उपरोक्त खातो में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत भाउचर / उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा एवं इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

9– उक्त योजना को दिनांक–08.06.2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की कार्यवाही के ज्ञापांक–184(7ए०) दिनाक–08 06.2026 द्वारा अनुशसा प्राप्त है एव स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनाक–24 06 2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापाक–657 / लो0वि0 / यो0वि0 दिनांक–24 06. 2026 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है ।

10– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

13– राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.7.26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7 / बजट–46–37 / 2025–26– 845 (7A) / **स्वा0, पटना, दिनांक**–09/07/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

9.7.26.

सरकार के अपर सचिव